न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 73 / 2025

अनवान : –

1. कृष्ण कुमार पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी रायपुरा तहसील सरदारशहर जिला चुरू।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय **दिनांकः** 12/02/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता स0 205 / 172 की कुल 6.1460 हैक्ट भूमि में से 9 / 20 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम कुष्ण पुत्र नन्दराम दर्ज है जो कि सहवन से दर्ज हुआ है प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम प्रार्थी के दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड आदि में कृष्ण कुमार पुत्र नन्दराम दर्ज है तथा अन्य भूमि रोही मौजा टिडियासर तहसील नोहर के खाता स0 165 / 163 की कुल 8.3840 हैक्ट भूमि में प्रार्थी का नाम कृष्ण कुमार पुत्र नन्दराम दर्ज है।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में कृष्ण पुत्र नन्दराम के स्थान पर अपना सही व वास्तविक नाम कृष्ण कुमार पुत्र नन्दराम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज कर देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.25 19:01:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पेशकार राज ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम कुष्ण पुत्र नन्दराम दर्ज है जो कि सहवन से दर्ज हुआ है प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम प्रार्थी के दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड आदि में कृष्ण कुमार पुत्र नन्दराम दर्ज है तथा अन्य भूमि रोही मौजा टिडियासर तहसील नोहर के खाता स0 165/163 की कुल 8.3840 हैक्ट भूमि में प्रार्थी का नाम कृष्ण कुमार पुत्र नन्दराम दर्ज है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम कृष्ण कुमार पुत्र नन्दराम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता स0 205/172 की कुल 6.1460 हैक्ट भूमि में से 9/20 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रार्थी अपना नाम कृष्ण पुत्र नन्दराम है जबकि प्रार्थी की टिडियासर की भूमि व अन्य दस्तावेजों में नाम कृष्ण कुमार पुत्र नन्दराम दर्ज है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता स0 205/172 की कुल 6.1460 हैक्ट भूमि में से 9/20 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम **कृष्ण पुत्र नन्दराम के स्थान पर कृष्ण कुमार पुत्र नन्दराम का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 12/02/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों ।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.25 19:01:06 IST
Reason: SelfAttested